न्यायालयः–अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ (जिला श्रीगंगानगर)

पीठासीन अधिकारीः–कन्हैयालाल सोनगरा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 15 / 2024 दायरा दिनांकः 03.04.2024 GCMS CASE NO- 2024/16

बाबू खां पुत्र कालू खां जाति मुसलमान निवासी सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़

–प्रार्थी

बनाम

1. भंवर सिंह पुत्र हेमसिंह जाति राजपूत निवासी भभूतासिद्ध जी मन्दिर के पास सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ
2. राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार राज मार्फत राजस्व तहसीलदार सूरतगढ़
3. पंकज सोनी पुत्र सूर्यप्रकाश सोनी निवासी वैशाली नगर जयपुर
4. संदीप डांग पुत्र केवल कृष्ण डांग जाति अरोडा साकिन सूरतगढ़

–अप्रार्थीगण

शिकायत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) आवंटन नियम 1954

उपस्थितः–
1. श्री रामप्रताप तिवाडी, अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री शिशपाल शर्मा, अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1
3. पैरोकार राज, अप्रार्थी संख्या 2

:: निर्णय :: दिनांकः– 28 / 01 / 2025

प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी द्वारा यह शिकायत प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि अप्रार्थी नं. 01 भंवरसिंह पुत्र हेमसिंह ने स्वयं को किसान बताकर एवं तथ्य छुपाकर सन् 1981–82 में रोही कस्बा सूरतगढ़ के खसरा नं. 383 / 4 में 40.00 बीघा बारानी भूमि टीसी आवंटन तथा तत्पश्चात खातेदारी भी करवा ली। जबकि भंवरसिंह नौकरी पेशा व्यक्ति है। उक्त टीसी का नवीनीकरण करने हेतु कभी भी भंवरसिंह द्वारा नवीनीकरण प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया। सम्वत 2040 का प्रार्थनापत्र नवीनीकरण दिनांक 18.07.1983 उसके पिता हेमसिंह द्वारा पेश किया गया। सम्वत 2039 का नवीनीकरण प्रार्थना पत्र दिनांक 30.06.1982 को आसुसिंह द्वारा प्रस्तुत किया गया। सम्वत 2044 का प्रार्थनापत्र दिनांक 16.06.1987 का नवीनीकरण प्रार्थनापत्र दिनांक 04.11.1986 को भंवरसिह के पिता हेमसिंह द्वारा प्रस्तुत किया गया। प्रार्थनापत्र दिनांक 16.06.1987 व 04.11.1986 दोनो में भंवरसिंह की उम्र 27 वर्ष अंकित की गयी है तथा प्रार्थना पत्र दिनांक 18.07.1983 में उम्र 24 वर्ष अंकित की गयी है। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र में दिनांक 01.01.1995 को उम्र 31 वर्ष अंकित है। इस उम्र से जन्म 1964 का बनता है तो सन् 1986 व 1987 में अंकित उम्र 27 वर्ष सही अंकित नहीं की गयी है। तथ्य उम्र का छिपाया गया है। इसके अलावा भंवरसिंह द्वारा उपनिवेशन तहसीलदार राजस्व.न.यो. सूरतगढ़ नं. 01 के जो प्रार्थनापत्र भूमि आंवटन हेतु पेश किया गया है उसमें खसरा नं. 383 / 4 में 25.00 बीघा के लिए ही किया गया है जिसमें पटवारी रिपोर्ट दिनांक 10.07.1981 को भंवरसिंह का पेशा काश्तकारी ना होकर कोई अन्य धंधा करना अंकित किया गया है तथा प्रार्थना पत्र के साथ शपथ पत्र में भंवरसिंह द्वारा अपनी उम्र 20 व[illegible] शपथ आयुक्त से अटेस्टेड है। इस शपथपत्र के मुताबिक जन्म 1961 का बनता है[illegible] आयोग की उम्र माननीय है। इस उम्र में अप्रार्थी संख्या 01 वर[illegible] नाबालिग था। उम्र के तथ्य को छिपाकर करवाया गया आवंटन [illegible] योग्य है। [illegible] कक्षा 10 वी. की [illegible]लिका जो अजमेर शिक्षा बोर्ड से जारी की गयी है वह अदालत में प्रस्तुत करवायी [illegible] जिससे स्थिती स्पष्ट हो जायेगी। अप्रार्थी नं. 01 उच्च शि[illegible] है तथा पैसे के लिए [illegible] नौकरी करता है। इस तथ्य को भी अप्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 25.06.1981 में नहीं दर्शाया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2025.02.05 13:31:41 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

1133

Scanned with OKEN Scanner

पटवारी हल्का ने भूमि की रिपोर्ट में आवंटन कॉलम नं. 4 में 10.07.1971 अंकित किया है जबकि टी.सी. पट्टा में 1981–82 को आवंटन दर्शाता है अप्रार्थी ने दिनांक 25.06.1981 को शपथपत्र प्रस्तुत किया है उसमें हस्ताक्षर व बाद के शपथपत्र में हस्ताक्षर बिल्कुल मिलान नही हो रहें है। खातेदारी लेने हेतु जितने शपथ दिये है उनमें उम्र अंकित नहीं की तथा हर बार हस्ताक्षर अलग–अलग है। अप्रार्थी द्वारा तहसीलदार सूरतगढ़ के यंहा जवाब में तथा शपथपत्र में अंकित हस्ताक्षर भी मेल नही खा रहे है। शपथपत्र में इन सब तथ्यों से पूर्णतया साबित हो रहा है कि तहसीलदार सूरतगढ़ व पटवारी गिरदावर द्वारा अप्रार्थी को अनुचित लाभ दिया है, जिसका कि वह पात्र नही है। ऐसी स्थिती में अप्रार्थी का आवंटन/खातेदारी निरस्त फरमायी जावे। अप्रार्थी नं. 01 द्वारा यह कंही भी नही दर्शाया गया है कि वह आसुसिंह का दतक पुत्र है, जबकि अप्रार्थी भंवरसिंह द्वारा कस्बा सूरतगढ़ के खसरा नं. 383/4 की 40.00 बीघा भूमि की खातेदारी के समय अपने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र आदि व सभी पहचान दस्तावेजात में अपने को हेमसिंह का पुत्र दर्शाकर खातेदारी करवा ली है बैंक नौकरी तथा अब पेशन भंवरसिंह पुत्र हेमसिंह के नाम प्राप्त कर रहा है। नगर पालिका सूरतगढ़ से आसुसिंह प्रतापसिंह का एक मात्र वारिस अपने आप को फर्जी तरीके से घोषित करवा लिया। नगर पालिका सूरतगढ़ द्वारा दिनांक 25 सन् अंकित नही है। भंवरसिह के आंवटन पर व वसीयतनामा व निर्णय माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या 2 श्रीगंगानगर कैम्प सूरतगढ़ के आधार पर वारिस प्रमाण पत्र जारी कर रही है। जबकि निर्णय अपर जिला न्यायिक संख्या 2 श्रीगंगानगर कैम्प सूरतगढ़ के निर्णय दिनांक 18.07.2002 में भंवरसिह को आसुसिंह का वारिस घोषित न करके मात्र वसीयत में अंकित प्लॉट नं. 193 वार्ड नं. 19 सूरतगढ़ के सम्बंध में वसीयत का प्रोबेट प्रमाणपत्र भंवरसिंह के पक्ष में जारी किया गया गया है। भंवरसिंह ने कर्मचारियों से मिलकर बड़ी चतुराई से आसुसिंह का अपने आपको वारिस बनवा लिया यह तथ्य भी वरवक्त भूमि खातेदारी रिपोर्ट आदि में नहीं दर्शायी गयी जो तथ्य छिपाकर आवंटन रखना है इस लिहाज से भी आवंटन निरस्ती योग्य है। अप्रार्थी नं. 01 भंवरसिंह द्वारा बड़ी ही चालाकी से कर्मचारियों से साठ गांठ कर आसुसिंह पुत्र प्रयागसिह की भूमि जो कि खसरा गिरदावरी में भी आसुसिंह पुत्र प्रयागसिंह अंकित है सम्वत 2060 से 63 खसरा नं. 383/4 की 25.00 बीघा भूमि गिरदावरी में सांठ गांठ करवाकर विरासतन भंवरसिंह के नाम करवा ली गिरदावरी सम्वत 2064 से 67 में भी आसुसिंह पुत्र प्रयागसिह राजपूत अंकित करवा लिया। इसी प्रकार गिरदावरी सम्वत 2068 से 70 व 2070 से 75 आसुसिंह पुत्र प्रयागसिह राजपूत के साथ अपना नाम विरासतन भंवरसिंह अंकित करवा लिया जो कि बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश जारी किये कर्मचारियों से मिलकर करवा लिया है। इसी भूमि रोही कस्बा सूरतगढ़ के खसरा नं. 383/4 की 25.00 बीघा भूमि को पटवारी हलक, गिरदावर व तहसीलदार सूरतगढ़ से खातेदारी अपने नाम से जारी करवाने हेतु आसुसिंह पुत्र प्रयागसिह को आसुसिंह पुत्र प्रतापसिंह बना दिया गया। पटवारी हल्का द्वारा टी.सी. पट्टा भी नही देखा गया और गिरदावरीयां भी नही देखी गयी। अपनी चैक लिस्ट में कॉलम संख्या 2 में आवेदन कर्ता भंवरसिंह अंकित कर पुत्र लिख दिया पिता का नाम अंकित नही किया पहचान कागजात आधार कार्ड का हवाला अंकित कर दिया, इस भूमि की खातेदारी प्राप्त करने हेतु भंवरसिंह द्वारा दिनांक 29.10.2021 को प्रार्थनापत्र तहसीलदार के प्रस्तुत किया जाता है प्रार्थी ने दतक पिता आसुसिंह पुत्र प्रयागसिह के नाम की कृषि भूमि करबा/रोही सूरतगढ़ के खसरा नं. 383/4 की 25.00 बीघा यानि 6.325 है० बारानी भूमि है, दतक पिता का देहान्त हो चुका है। भूमि की खातेदारी प्राप्त करना चाहता है प्रार्थी भंवरसिंह पुत्र हेमसिंह अंकित करता है। भंवरसिंह बैंक में मैनेजर था दिनांक 29.10.2021 को वह खुद प्रार्थनापत्र दे रहा है कि दतक पिता आसुसिंह पुत्र प्रयागसिंह के नाम भूमि है इसी प्रार्थनापत्र पर सारी खातेदारी की कार्यवाही होती है तहसील रिपोर्ट चैक लिस्ट में मूल टी.सी. आवंटी का नाम पटवारी द्वारा आसुसिंह पुत्र प्रतापसिंह ... जाता है बिन्दू संख्या 29 में पटवारी हल्का रिपोर्ट करता है कि मृताबिक खसरा गिरदावरियां लगातार काश्त दर्ज नहीं है फाईल नही होने के बाबत नोटरी पब्लिक से प्रमाणित ... युक्त शपथपत्र संलग्न है। भू अभिलेख निरीक्षक सरवरदीन अपने प्रतिवेदन में आसुसिंह पुत्र प्रयागसिंह के नाम से खातेदारी सन्द जारी किया जाना उचित है रिपोर्ट करता है। प्रार्थनापत्र खातेदारी के साथ भंवरसिंह जो शपथपत्र पेश करता है उसमें अपने आप को आसुसिंह का दतक पुत्र अंकित कर रहा है। जबकि स्टाम्प विक्रेता से भंवरसिंह पुत्र हेमसिंह के नाम से स्टाम्प जारी करवाता है (दिनांक

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)
1134

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2025.02.05 13:31:41 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

29.12.2021 को जारी स्टाम्प) नौटेरी से भंवरसिंह पुत्र आसुसिंह के नाम से अटेस्टेड करवा लिया जाता है। इस प्रकार आसुसिंह पुत्र प्रयागसिंह जाति राजपूत के नाम की भूमि रोही करबा सूरतगढ़ के खसरा नं. 383/4 की 6.325 है० बारानी भूमि भंवरसिंह राजस्व कर्मचारियों से मिलकर खातेदारी आसुसिंह पुत्र प्रतापसिह के नाम जारी करवाकर अपने नाम राजस्व रिकॉर्ड में करवा लेता है अप्रार्थी नं. 02 ने अप्रार्थी नं. 01 के साथ मिलकर राज्य सरकार को धोखा देकर अप्रार्थी नं. 01 को अनुचित लाभ पंहुचाया है यह भूमि सूरतगढ़ शहर के चिपते स्थित होने से करोड़ो रूपयों की है इसके साथ हाउसिंग बोर्ड फैस 3 की भूमि पड़ती है। यह कृषि भूमि ना होकर सम्पति की श्रेणी में आती है जो राज्य सरकार की है। अप्रार्थी नं. 01 भंवरसिंह इसे प्राप्त करने का कतई अधिकारी नही है तथ्यों को छिपाकर झूठा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत कर रिकॉर्ड में काट छांटकर बिना सक्षम अधिकारी के आदेश अपना नाम रिकॉर्ड में प्रविष्ट करवाकर छल कपट पूर्वक अपने नाम करवाया गया है जो राज्य हित में खारिज की जाकर कब्जा बहक सरकार किया जावे। अप्रार्थी ने छल कपट मिथ्या सुचना व तथ्यों को छुपाकर सरकारी मशीनरी से साठ गांठ करके रोही कस्बा सूरतगढ़ के खसरा नं. 383/4 में 40.00 बीघा बारानी भूमि भंवरसिंह पुत्र हेमसिंह बनकर आवंटन करवाकर अब खातेदारी प्राप्त कर ली है तथा इसी खसरा नं. 383/4 में 25.00 बीघा बारानी भूमि जो आसुसिंह पुत्र प्रयागसिंह के नाम टी.सी. पर आवंटन थी उसे कर्मचारियों से मिलकर आसुसिंह पुत्र प्रतापसिंह का रिकॉर्ड बनाकर खातेदारी करवाकर अपने को आसुसिंह का दत्तक पुत्र फर्जी तरीके से रिकॉर्ड में स्थापित करवाकर यह भूमि भी अपने नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवा ली है। इस प्रकार भंवरसिंह सरकारी नौकरी में रहते हुए 65.00 बीघा भूमि का खातेदार जालसाजी से बन गया है जो पूर्णतया खेती पेशा में नही है ना ही आसुसिंह पुत्र प्रयागसिंह का दतक पुत्र है। इसलिये दोनो रकबा 383/4 की 40.00 बीघा व खसरा नं. 383/4 की 25.00 बीघा अब वर्तमान में तरमीम खसरा नं. 761/383 व 763/383 की कुल 65.00 बीघा रकबा खारिज किया जाकर कब्जा बहक राज्य सरकार लिया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री रामप्रताप तिवाडी उपस्थित हुए। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री शिशपाल शर्मा एवं अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से पैरोकार राज हाजिर आये। अप्रार्थी संख्या 3 व 4 के विरूद्व आदेशिका दिनांक 07.01.2025 द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वकील प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि अपील मीमों एवं शिकायत को सिद्ध करने वाले दस्तावेजात ही मेरी बहस है। वकील प्रार्थी द्वारा न्यायिक दृष्टांत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा 63 (1), आरबीजे 2021 पेज 700, डीएनजे 2022 (2) पेज 1319, डीएनजे 2022 (2) पेज 1380, डीएनजे 2021(82) पेज 934, आरआरटी 2021 (1) पेज 212, आरबीजे 2021 पेज 213, आरआरटी 2018 (1) पेज 172 की ओर ध्यान दिलाया।

वकील अप्रार्थी संख्या 1 ने दौराने बहस कथन किया कि राज्य सरकार का प्रतिनिधी तहसीलदार है। राज्य सरकार ने अपने रकबा के लिये भूमि धारी तहसीलदार को शक्तिया दे रखी है व जब राज्य सरकार का प्रतिनिधी हाजिर है तो प्रार्थी को यह शिकायत राज्य हित में पेश करने का अधिकार नही है। इसलिये शिकायत प्रार्थना पत्र पूर्णतया आधारहीन होने से खारीज योग्य है। अप्रार्थी ने उक्त टीसी ऑवटन में किसी प्रकार से कोई भी तथ्य नही छिपाया था व ना ही सरकार के साथ कोई धोखा किया। उक्त ऑवटन अप्रार्थी को दिनांक 10.07.1981 को हो गया था जो पूर्णतया विधी सम्मत था। उक्त ऑवटन आज से 43 वर्ष पूर्व हुआ था जो विधि सम्मत था। अप्रार्थी व उसके परिवार का पेशा काश्तकारी था। अप्रार्थी के दादा गूमानसिह के नाम उस समय 15.00 बीघा रकबा [illegible] अप्रार्थी व उसके पिता व दादा का गूख्य पेशा काश्तकारी ही था व टीसी ऑवटन [illegible] अप्रार्थी स्वयं व अप्रार्थी की पत्नी व अप्रार्थी का पुरा परिवार उक्त रकबा पर खेती कर रहे है। कानूनी नजीर आर आर टी 2021 पेज 352, आरआरटी 2021 पृष्ठ 376 [illegible] निवेदन है कि आवंटन नियमो के अनुसार टीसी ऑवटित रकबा [illegible] रकबा तीन वर्ष पश्चात स्वतः ही खातेदारी हो जाता है। इसलिये सन 1984 मे तो अ[illegible] इस रकबा का कानुनी रूप से खातेदार काश्तकार हो गया था। उस समय भी अप्रार्थी किसी भी सरकारी सेवा मे नही था

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2025.02.05 13:31:41 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

यानी तहसीलदार को अप्रार्थी उक्त रकबा तीन वर्ष पश्चात राजस्व रिकार्ड मे खातेदारी दर्ज कर देना चाहिये था तथा खातेदारी होने के पश्चात उक्त रकबा का ऑवटन निरस्त करने का अधिकार कलक्टर को नही है। कानुनी नजीर आरबीजे 2023 पेज 305 पेश कर निवेदन है कि खातेदारी जारी होने के बाद राज काश्तकारी अधिनियम लागू हो जाता है इसलिये रकबा खारीज करने का अधिकार कलक्टर को नही है। अप्रार्थी टीसी ऑवटन के समय बालिग था। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान सैकण्डरी स्कुल परीक्षा 1979 के प्रमाण पत्र/अंक तालीका के अनूसार भी अप्रार्थी की जन्म तिथी 04.01.1963 है। इस प्रकार टीसी आवंटन के समय अप्रार्थी बालिग था। अप्रार्थी के टीसी नवीनीकरण के लिये ही प्रार्थना पत्र पर अप्राथी के ही हस्ताक्षर है तथा प्रार्थना पत्र पिता/दादा के माध्यम से पेश किया जा सकता है तथा ऐसी तकनीकी खामियो की वजह से इतना पुराना ऑवटन खारीज नही किया जा सकता। प्रार्थी स्वयं के कथानुसार व दस्तावेजी साक्ष्यो से भी यह साबित है कि टी सी नवीनीकरण लगातार हुआ है इस रकबा की अप्रार्थी के नाम लगातार ढाल–बाछ मे रकम कायम होकर प्रतिवर्ष अप्रार्थी ने रकम जमा करवाई है। कानूनी नजीर आरबीजे 2001 पृष्ठ 353 25 वर्ष के बाद भूमि का आवंटन इस आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता कि आवंटन के समय याचिकाकर्ता नाबालिग थे। आरआरडी 1993 पेज 596 (एससी) की ओर ध्यान दिलाकर निवेदन है कि नाबालिग का टीसी ऑवटन व बालिग होने पर पुख्ता ऑवटन हो गया तो पुख्ता ऑवटन खारीज नहीं होगा। आरआरडी 2009 पेज 117 की ओर ध्यान दिलाकर निवेदन है कि छल या मिथ्या प्रकटीकरण का मामला नही होने पर ऑवटन रद नहीं हो सकता। अप्रार्थी हेमसिह का प्राकृतिक पुत्र है तथा आसुसिंह जी के कोई औलाद नही थी, उनके साथ अप्रार्थी प्राकृतिक पुत्र की भाँती ही रहता था, अप्रार्थी का लालन पालन पढाई लिखाई व अप्रार्थी की शादी भी आसूसिहजी ने कि थी, उनकी सेवा चाकरी अप्रार्थी ही करता था। आसुसिह ने अपने जीवनकाल में अपने नाम की चक 28 पी.बी.एन व रोही करबा सूरतगढ की कृषि भुमि व तमाम चल अचल सम्पति की वसीयत दिनांक 04.04.1986 को लिखवाकर दिनांक 05.04.1986 को इस वसीयत को उप पंजीयक से पंजीयन करवा दी व आसुसिह जी दिनांक 26.05.1991 को अविवाहित ही फौत हो चुके है, इसलिये इसी वसीयत के आधार पर अप्रार्थी उक्त रकबा प्राप्ति का हकदार है व उनकी मृत्य के पश्चात अप्रार्थी ने वसीयती उतराधिकार की हैसियत से उक्त रकबा पर काबिज होकर काश्त करता आ रहा है व सिविल कोर्ट से इस वसीयत का प्रोबेट भी अप्रार्थी के पक्ष में जारी हुआ है। अप्रार्थी ने किसी भी तथ्य को खातेदारी समय नहीं छिपाये हे इसलिये शिकायत प्रार्थना पत्र व स्थगन प्रार्थना खारीज योग्य है। आसूसिह जी के पिता का नाम प्रतापसिह है तथा बोलचाल की भाषा मे प्रयागसिह भी कहते थे इसलिये कही प्रयागसिह भी दर्ज है। प्रयागसिह व प्रतापसिह एक ही आदमी के दो नाम है। ये कोई अलग–अलग आदमी नही है। अप्रार्थी न 1 मृतक आसुसिह का वसीयती उत्तराधिकारी होने से उक्त रकबा पर काबिज होकर काश्त करता आ रहा है, इसलिये उक्त रकबा अपने नाम दर्ज करवाने का हकदार है। वसीयत आज भी प्रभावी है व आसुसिह के फौत होने के पश्चात उक्त रकबा की रकम अप्रार्थी के नाम कायम हो चुकी थी व उक्त वसीयत के किसी भी न्यायालय ने निरस्त नहीं किया है। प्रार्थी एक शिकायत कर्ता है उसका इस रकबा में कोई हक नहीं है। उक्त रकबा के खातेदारी अधिकार पूर्णतया जॉच करने के पश्चात ही श्रीमान जिला कलक्टर श्रीगंगानगर के निर्देश में नियमानुसार डी एल.सी राशी के 10 प्रतिशत राशी जमा करवाने पर जारी हुऐ विधी सम्मत तरीके से जारी हुऐ है इसलिये शिकायत प्रार्थना पत्र खारीज योग्य है । इसके अतिरिक्त निवेदन है कि जैर प्रकरण रकबा के ऑवटन/खातेदारी अधिकार के खिलाफ श्रीमान जिला कलक्टर श्रीगंगानगर के समक्ष अपील न 37/2023 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ बनाम भँवरसिह पुत्र हेमसिह व अपील न 66/2023 तहसीलदार बनाम आसूसिह जैर कार है, जिसकी [illegible] व अपील मीमो की प्रमाणीत प्रति की फौटो प्रति संलग्न है। इसलिये जब सरकार स्वय ने अपील [illegible] रखी है इसलिये इस रकबा के खातेदारी अधिकार के बाबत जैर शिकायत नहीं [illegible] इसलिये प्रार्थनापत्र इसी स्तर पर खारीज योग्य है। यह है कि उक्त रकबा के खातेदारी [illegible] अधिकार जारी हो गये है अप्रार्थी को अपने प्राकृतिक पिता से कोई [illegible] रकबा की खातेदारी से पहले रकम अप्रार्थी के नाम कायम [illegible] अधिकार विधी सम्मत तरीके से नाम जारी हुऐ है। ना तो अप्रार्थी टीसी ऑवटन के समय सरकारी सेवा मे था व ना अब।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2025.02.05 13:31:41 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner

खातेदारी होने के बाद नियम 14 (4) भू राजस्व अधिनियम में कलक्टर को शिकायत सुनवाई का क्षेत्राधिकार नही है इसलिये भी प्रार्थना पत्र खारीज योग्य है।

अप्रार्थी संख्या 2 पैरोकार राज ने दौराने बहस राज्य हित को ध्यान में रखते हुए निर्णय पारित करने हेतु निवेदन किया।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन किया। प्रकरण में तथ्य छुपाकर टीसी आवंटन एवं खातेदारी जारी होने संबंधी कोई साक्ष्य प्रार्थी द्वारा पेश नही किये गये है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन पाये जाने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति तहसीलदार सूरतगढ़ को पालनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कन्हैया लाल सोनगरा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2025.02.05 13:31:41 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner